

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 18(15)एम.ई./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक : 22.4.2014

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,  
मेडिकल कॉलेज,  
अजमेर।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवधि में मशीन विद मैन लिये जाने की स्वीकृति बाबत।  
संदर्भ:- आपका पत्रांक 10779 दिनांक 14.3.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के अधीन प्राप्त प्रस्तावानुसार चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर को दो मशीन विद मैन की सेवाएँ वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु बजट शीर्ष 2210-05-105-(01)-[04]-41 संविदा सेवाएँ व्यय आयोजना भिन्न मद में उपलब्ध प्रावधान में से नियमानुसार वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों, दिशा-निर्देशों एवं नियत प्रक्रियानुसार लिये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नांकित शर्त के अधीन हैं:-

राज्य में लोकसभा चुनाव 2014 हेतु आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। अतः चिकित्सा महाविद्यालय आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों की अपने स्तर पर पालना सुनिश्चित करावें।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. 101401531 दिनांक 11.4.2014 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुरूपण में जारी की जाती है।

भवदीय,

—S—

(धन्नालाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा), राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1/बजट) विभाग।
4. अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय।
4. रक्षित पत्रावली।



सहायक लेखाधिकारी

(W)

SAV  
23/04/14

PS(D)